भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3855
दिनांक 16.07.2019/25 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

एससी/एसटी एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराध

†3855. श्री एस॰ वेंकटेशनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के कानूनों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध के ब्यौरे राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा रिकॉर्ड में नहीं रखे जाते हैं; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): जी, नहीं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं दोनों के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित डेटा को भारतीय दंड संहिता और विशेष एवं स्थानीय कानूनों के तहत एकत्र और प्रकाशित करता है।

(ख): उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****